

कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 110/2017 सूचना के अधिकार के अन्तर्गत

श्री बलवन्तराम पुत्र श्री माईदान जाति मेधवाल निवासी वार्ड
नं० 7 सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया।

—प्रत्यार्थी

आदेश


दिनांक:—14.11.2017

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के विरुद्ध प्राप्त हुई।

अपीलार्थी उपस्थित नहीं। अपीलार्थी की अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया से मांगी गई थी। प्रार्थी को सूचना नहीं मिलने पर उसके द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील की गई है।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया से पत्र क्रमांक 1287 दिनांक 03.11.2017 द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को सूचनाार्थ प्रेषित की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के उक्त पत्र क्रमांक 1287 दिनांक 03.11.2017 का अवलोकन करने से तहसीलदार भू.अ. संगरिया ने पत्र क्रमांक 2032 दिनांक 17.10.2017 द्वारा प्रार्थी को उसके आवेदन पत्र दिनांक 06.09.2017 की सूचना के संबंध में सूचित किया जाना पाया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को इस अपील में ओर कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति दोनों पक्षों को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।


लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ